न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल स0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
19/22	4/4/2021	8/4/22

पीठासीन अधिकारी : श्री संतोष कुमार मीना आर0ए0एस0

उनवान

1– विरेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
2–रामलखन पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

– वादीगण

बनाम

1– भैरूलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
2– गिरजा पुत्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
3– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53, 88, 89 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 914 रकबा 0.99 है0, खसरा संख्या 1165 रकबा 1.10 है0, खसरा संख्या 1175 रकबा 0.64 है. खसरा संख्या 214 रकबा 1.65 है. कृषि भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के तन्हा खाते मे दर्ज है तथा ग्राम दुर्जनपुरा तह. पीपल्दा के माल मे खसरा संख्या 879 रकबा 0.23 है., खसरा संख्या 885 रकबा 0.90 है. कुल 2 किता की रकबा 1.13 है. स्थित है जिसमे प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जिसे आगे वादपत्र मे विवादित भूमि के रूप मे संबोधित किया गया है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता मांगीलाल से विरासत मे प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है। वादीगण, प्रतिवादी क्रम 1 के सहदायिक है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादीगण का जन्म से ही विवादित भूमि मे सहदायिकी हित है व वादीगण अपने 1/3 – 1/3 निहित हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी क्रम 1 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 214 रकबा 1.65 है. कृषि भूमि पर तथा वादी क्रम 2 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 1165 रकबा 1.10 है., खसरा संख्या 1175 रकबा 0.64 है. कृषि भूमि पर अपने–अपने हिस्से के मुताबिक शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। किन्तु वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही होने के कारण, वादीगण को अपने–अपने हिस्से की भूमि को उन्नत करवाने, आवश्यक भूमि सुधार करने, राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं तथा वित्तिय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने मे घोर कठिनाइयों का सामना करना करना पडना है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह उपर वर्णनानुसार अपने निहित हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाकर उसका राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करावे। प्रतिवादी क्रम 2 विवाहित होकर अपने ससुराल मे निवास कर रही है। उसके विवाह के समय तथा समय–समय पर वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उसके हित के मुकाबले पर्याप्त धन–संपदा दी जा चुकी है इसलिए वादीगण के हिस्से की भूमि मे उसका कोई अधिकार नही बनता

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

है। दिनांक 28 / 3 / 2022 को वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से विवादित भूमि मे उनके कब्जे व हिस्से की भूमि को पृथक से राजस्व अभिलेख मे दर्ज करवाने बाबत निवेदन कर दिया तो उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया इस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 3 के समक्ष उक्त भूमि स्वंय की खातेदारी मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया जो उन्होने न्यायालय श्रीमान मे कार्यवाहीं करने हेतु हिदायत की, इस पर वादी गण को न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है। वाद कारण दिनांक 28–3–2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी से विवादित भूमि मे उसका कब्जे व हिस्से की भूमि को पृथक् से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने बाबत निवेदन करने तथा उसके द्वारा इंकार करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है। उन्हे केवल मात्र न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना करनी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 से कोई विशेष अनुतोश वांछित नही है। वाद नियत न्याय शुल्क 1 / – पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी क्रम 1 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 214 रकबा 1.65है. कृषि भूमि तथा वादी क्रम 2 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 1165 रकबा 1.10 है., खसरा संख्या 1175 रकबा 0.64 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख मे तद्नुसार इन्द्राज किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। प्रकरण कोई विवाद बिन्दु निहित नही होने से इसी स्टेज पर बहस उभय पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी क्रम 1 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 214 रकबा 1.65 है. कृषि भूमि तथा वादी क्रम 2 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 1165 रकबा 1.10 है., खसरा संख्या 1175 रकबा 0.64 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किये जाने योग्य होने से दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी क्रम 1 को ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 214 रकबा 1.65 है. कृषि भूमि का तथा वादी क्रम 2 को ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 1165 रकबा 1.10 है., खसरा संख्या 1175 रकबा 0.64 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। 4शेष भूमि पूर्ववत् प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी मे दर्ज रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् पर रहन यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 8/4/22 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

उनवान

1– विरेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
2–रामलखन पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

– वादीगण

बनाम

1– भैरूलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
2– गिरजा पुत्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
3– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर.टी. एक्ट
मुकदमा नं0 19/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी क्रम 1 को ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 214 रकबा 1.65है. कृषि भूमि का तथा वादी क्रम 2 को ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 1165 रकबा 1.10है., खसरा संख्या 1175 रकबा 0.64है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है शेष भूमि पूर्ववत् प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी मे दर्ज रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।विवादित आंराजीयात् पर रहन यथावत रहेगा।

निणर्य /डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 8/4/22........ को जारी की गई।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
इटावा जिला कोटा